न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

निगरानी/सीलिंग/1675/2004/बारां

1. विजयकुमार 2. भीमराज पुत्रान रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बोरीघाटा तहसील छीपाबडौद
3. श्रीमती रामकन्या बेबा रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बोरीघाटा तहसील छीपाबडौद
4. दमयन्ती पुत्री रामप्रसाद पत्नी सुरेन्द्र कुमार धाकड निवासी मकान नं 328 शोपिंग सेन्टर कोटा
5. गिरीराज कुमारी पुत्री रामप्रसाद पत्नी चतुरभुज धाकड निवासी महावीर नगर 3 कोटा
6. ज्ञान प्रकाश 7. परमानन्द 8. बनवारी 9. प्रेमनारायण पुत्रान शंकर लाल जाति धाकड निवासी बम्बोरीघाटा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

अप्रार्थी

एकल पीठ

श्री सुनील कुमार शर्मा सदस्य

उपस्थित

श्री विकास पारासर अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री हातिम अली अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री सुनील कडवासरा अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री आर पी मीणा उप राजकीय अभिभाषक अपार्थी

निर्णय

दिनांक;22.09.2020

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 31–3–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि एसेसी रामप्रसाद के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बांरा के न्यायालय में चला जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–6–2002 के द्वारा मृतक रामप्रसाद की 53–17 स्टे. एकड भूमि मानकर 30 स्टे.एकड भूमि छोडते हुये शेष 23–17 स्टे.एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। जिसके विरूद्ध रामप्रसाद के वारिसान ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2003 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि एसेसी रामप्रसाद का देहान्त दिनांक 15–5–62 को हो गया था और वे अधिसूचित दिनांक 1–4–66 को जीवित नहीं थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त भूमि उनकी मानकर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। यदि खातेदार अधिसूचित दिनांक को जीवित नहीं हो तो उसकी कृषि भूमि की सीलिंग सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधिसूचित दिनांक 1–4–66 को रामप्रसाद के दो पुत्र विजय कुमार एवं भीमराज मौजूद थे व श्रीमती रामकन्या बाई रामप्रसाद की बेबा एवं दो पुत्रियां

दमयन्ती बाई एवं गिरिराज कुमारी मौजूद थे। रामप्रसाद की एक पुत्री प्रकाश उर्फ शान्ति दिनाक 1–4–66 को जीवित थी जिसका स्वर्गवास वर्ष 1970 में हो चुका है। इस प्रकार रामप्रसाद के 6 उत्तराधिकारी उनके द्वारा धारण की गई भूमि के खातेदार टीनेन्ट थे। अधीनस्थ न्यायालय को यह भूमि उक्त खातेदारान की मानकर कुल 6 यूनिट मानकर सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिये था। भूमि रामप्रसाद के पिता दुर्गालाल के खाते में दर्ज थी जिनका वर्ष 1959 में स्वर्गवास हो चुका है। दुर्गालाल के खाते में उनकी मृत्यु के समय 82 बीघा भूमि थी तथा उनके तीन पुत्र रामप्रसाद,शंकर लाल व रामदयाल थे। इस प्रकार दुर्गालाल जी के तीन उत्तराधिकारी थे। उक्त तीनों पुत्रों का समभाग से 1/3–1/3 समान हक है तथा प्रत्येक के हिस्से में 27 बीघा 7 विस्वा भूमि आती है। अधीनस्थ न्यायालय को इसी आधार पर सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त विधिक स्थिति पर गौर किये बिना निर्णय पारित किये हैं जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है इसलिये निगरानी को अन्दर मियाद मानकर विधिक स्थिति अनुसार निर्णय पारित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1988 पेज 111, 2006RBJ(13)page 186 की नजीरें पेश की।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किये हैं। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। इसलिये निगरानी के स्तर पर उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है इसलिये निगरानी को अन्दर मियाद मानकर विधिक स्थिति अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि एसेसी रामप्रसाद का देहान्त दिनांक 15–5–62 को हो गया था और वे अधिसूचित दिनांक 1–4–66 को जीवित नहीं थे। अधिसूचित दिनांक 1–4–66 को रामप्रसाद के दो पुत्र विजय कुमार एवं भीमराज मौजूद थे व श्रीमती रामकन्या बाई रामप्रसाद की बेबा एवं दो पुत्रियां दमयन्ती बाई एवं गिरिराज कुमारी मौजूद थे। रामप्रसाद की एक पुत्री प्रकाश उर्फ शान्ति दिनाक 1–4–66 को जीवित थी जिसका स्वर्गवास वर्ष 1970 में हो चुका है। इस प्रकार रामप्रसाद के 6 उत्तराधिकारी उनके द्वारा धारण की गई भूमि के खातेदार टीनेन्ट थे। अधीनस्थ न्यायालय को यह भूमि उक्त खातेदारान की मानकर कुल 6 यूनिट मानकर सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिये था। भूमि रामप्रसाद के पिता दुर्गालाल के खाते में दर्ज थी जिनका वर्ष 1962 में स्वर्गवास हो चुका है। दुर्गालाल के खाते में उनकी मृत्यु के समय 82 बीघा भूमि थी तथा उनके तीन पुत्र रामप्रसाद,शंकर लाल व रामदयाल थे। पैरोकार सरकार तहसील छीपाबडौद ने अपने जबाब के मद संख्या 3 में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 15–9–62को श्रीरामप्रसाद की एवं उसके उत्तराधिकारी विजय कुमार भीमराज विधवा रामकन्या बाई,लडकियां गिरिराज बाई एवं दमयन्ती बाई तथा शान्ति बाई पत्नी विजय कुमार हैं।

जबाब के मद संख्या 4 में यह कथन किया है कि दुर्गा लाल की मृत्यु कें बाद श्री दुर्गालाल के खाते की 82 बीघा 15 विस्वा भूमि इन्तकाल संख्या 48 से अप्रार्थीगण के पिता व पति के हिस्से में 41बीघा 8विस्वा भूमि आई है और रामप्रसाद मृतक के खाते में 115बीघा 3विस्वा भूमि पहले से मौजूद थी इस प्रकार मृतक रामप्रसाद के खाते में 156 बीघा 11 विस्वाभूमि खाते में रहती है। जबाब के मद संख्या 5 में यह कथन किया है कि दिनांक 15–9–62 को श्री रामप्रसाद की मृत्यु के समय श्री रामप्रसाद के खुद के खाते में 115 बीघा 3 विस्वा भूमि होना एवं मद संख्या 6 में वारिस विजय कुमार पुत्र, उम्र 26 वर्ष भीमराज की उम्र 20 वर्ष व रामकन्या बाई की उम्र 45 वर्ष,गिरिराज बाई की उम्र 22वर्ष,दमयन्ती बाई की उम्र 24 वर्ष, शान्ति बाई पत्नी विजयकुमार की उम्र 24 वर्ष होना अंकित किया है। तहसीलदार द्वारा सहायक कलेक्टर छबडा को प्रेषित रिपोर्ट से भी वारिसों की पुष्टि होती है। खातेदार रामप्रसाद की मृत्यु दिनांक 15–9–62को होने बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न है। इन सब दस्तवोजी साक्ष्यों से इस तथ्य की निर्विवाद रूप से पुष्टि होती है कि रामप्रसाद की मृत्यु निर्धारित दिनांक 1–4–66 से पूर्व हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में निर्धारित दिनांक को उसके वारिस विजय कुमार पुत्र, उम्र 26 वर्ष भीमराज की उम्र 20 वर्ष व रामकन्या बाई की उम्र 45 वर्ष,गिरिराज बाई की उम्र 22वर्ष,दमयन्ती बाई की उम्र 24 वर्ष, शान्ति बाई पत्नी विजयकुमार की उम्र 24 वर्ष मौजूद थे। तहसील की रिपोर्ट व पटवार मण्डल की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित दिनांक 1–4–66 को रामप्रसाद के दो पुत्र विजय कुमार व भीमराज मौजूद थे तथा पत्नी व लडकियां मौजूद थी तथा पिता की स्वयं अन्य कोई कार्य से आय नहीं थी।

दोनों पुत्रों विजय कुमार व भीमराज प्रत्येक के हिस्से में सौ बीघा से अधिक भूमि आती है जो उनके व उनके परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त थी तथा विजय कुमार व भीमराज उक्त भूमि की आय पर ही निर्भर थे। जिसका खण्डन राज्य पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस कारण प्रत्येक अलग अलग यूनिट की भूमि रखने के अधिकारी हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि एसेसी ने घोषणा पत्र में यह कही भी नही लिखा है कि दोनों पुत्र मुझ पर आश्रित हैं। दोनों पुत्रों का अलग अलग हिस्सा होने से वह अलग अलग यूनिट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जैसा कि निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–

RRD 2006page20,(HC)
Raj.Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act1973, Sec.15(2)- Addl. Collector and Board of Revenue held the land as excusively owned by petitioner though it was a coparcenary property and all coparceners had right in it by birth- Held, the orders of Addl. Collector and Board were against law.

Rajasthan Tenancy Act- Chapter III B(Old ceiling Law, Section 30B(a)- When property is ancestral and the son is entitled to a notional share, the son and his family cannot be treated as members of the family of the assessee.

RRD 1994page 440,222,,
Rajasthan Tenancy Act. Chapter III B(Old Ceiling Law) Section 30B& Family- A son of a Hindu assessee whose share in the ancestral property in the hand of the assessee is sufficient for his seprate maintenance , can not be treated as a member of the assessee family and his share cannot be clubbed with that of the assessee for determining the ceiling area.

RRD 1986 page ,460(HC)
Rajasthan Tenancy Act Sec.30C,30D,30DD&5(17) proviso- partition of joint Hindu Family property cannot be regarded as transfer- Partition took place after appointed date- Whether individual share of cotenant is to be considered separate holding of each co tenant- Held

for purpose of Cp.IIIB, if more than one person are cotenants of any land then each of them shall be deemed to be its separate holder whether its division has or has not actually taken place.

RRD 1990page 530
Raj. Tenancy Act Chapter IIIB-(Old Ceiling Law)Section 30B(a)a-Family-Major son not dependent on assessee is not member of the assessees family as also the son of such son (grand son)- Their lands cannot be clubbed with the holding of the assessee for ceiling purposes- Land of the grand son may be clubbed with the holding of his father.

Rajasthan Tenancy Act-Chapter IIIB(Old ceiling Law)Section 30B(a)-Family-Widow and minor sons of Hindu male inherit as tenant in common-Where succession had opened before 1-4-66 the minor sons could not treated as the family of their widowed mother-Each of them had to be assessed as separate units.

2006RBJ(13)page 186 Reshmi&Ors. Vs.State&Ors(H.C.)-

RAJASTHAN TENANCY ACT 19565-Chapter IIIB-Constitution of india 1950 Article226- Determination of ceiling land-All coparceners have right in agricultural land by birth.

9. उपखण्ड अधिकारी छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 17–6–2002 में कुल 53–17 स्टे. भूमि होना मानकर 23–17 स्टे.एकड भूमि अधिग्रहण योग्य मानी है। इस प्रकार विजय कुमार व भीमराज प्रत्येक के हिस्से में लगभग साढे छब्बीस स्टे.एकड भूमि आती है जबकि दोनों ही सीलिंग कानून के अनुसार 30 स्टे.एकड भूमि तक रखने के अधिकारी हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2002

निरस्त किये जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य